

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 1375 / एफ-1-25 / 31 / एस-2 / 2007,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 15 / 03 / 2024

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- कबीरधाम जिले के विकासखंड-कवर्धा की कोयलारी व्यपवर्तन योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

- संदर्भ :-
1. शासन का पत्र क्र.-6795 / एफ-1-25 / 31 / एस-2 / 2007, दिनांक 28.11.2007.
 2. प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक-802 / बो.प्र. / RAA / मगोक / 2021 / 5726, नवा रायपुर दिनांक 24.07.2021.
 3. मुख्य अभियंता का पत्र क्र.-30 / डी-2 / मगोक / 2007 / 1492, दिनांक 16.02.2024.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा कबीरधाम जिले के विकासखंड-कवर्धा की कोयलारी व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु लागत राशि रु. 2184.35 लाख (रुपये इक्कीस करोड़ चौरासी लाख पैंतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना के निर्माण से 900 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।
4. छत्तीसगढ़ विस्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय विस्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल (9469)-नाबार्ड से ऋण सहायता के अंतर्गत, 0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य) #97-निर्माण कार्य, 003, बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.-409 / सी.एन.-31-00750 / बजट-2 / वित्त / चार / 2024, दिनांक 15.03.2024 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। पुनः लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. योजना की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(प्रेमसिंह घरेन्द्र)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

...2...

पृ.क्र. 1376 / एफ-1-25 / 31 / एस-2 / 2007,

अटल नगर, दिनांक 15 / 03 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 8. कलेक्टर, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
 14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 जल संसाधन विभाग